न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA2021-319Ju2021-158 Kanaram Vs Mangilal etc

कानाराम पुत्र नारायणराम जाति विश्नोई, निवासी- हिंगाणिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. मांगीलाल पुत्र नारायणराम
02. भागूराम पुत्र नारायणराम
03. बालकी पत्नी गिरधारीराम
04. किशनाराम पुत्र गिरधारीराम
05. जालाराम पुत्र गिरधारीराम
06. भागीरथ पुत्र बाबूराम
07. काशीराम उर्फ कालूराम पुत्र बाबुराम
08. महेन्द्र उर्फ हासमराम पुत्र बाबूराम
    सभी जाति विश्नोई निवासी- हिंगाणिया तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
09. भाकरराम पुत्र हरजीराम जाति विश्नोई, निवासी- सांखली की ढाणी, हिंगाणिया तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
10. श्रीमान् तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर दिनांक 02 जुलाई 2021 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 285/2021 कानाराम बनाम मांगीलाल इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या दस

नि र्ण य

दिनांक : 17 नवंबर 2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 285/2021 कानाराम बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 20 सितंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया जाकर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88,एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 246 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नं. 247 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा नं. 248 रकबा 18.1784 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 249 रकबा 5.8572 हैक्टेयर ग्राम हिंगाणिया तहसील पीपाड़ शहर के संबंध में रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध पेश किया, जिस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई कर दिनांक 02.07.2021 को अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर अंतरिम आदेश के जरिये वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने वादी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा केवल आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए गोल माल आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अपीलार्थी द्वारा वाद बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी

बंटवाड़ा व घोषणा हेतु प्रस्तुत किया है, जिसके जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 9 द्वारा वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया जिससे साबित होता है कि प्रत्यर्थी संख्या नौ बंटवाड़ा नही करवाना चाहते है तथा जानबूझकर सड़क पर स्थित विशेष भू भाग पर हिस्से से अधिक कब्जा करना चाहते है, जिस कारण भी मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी विवादित भूमि का खातेदार काश्त कार है। मौके पर संयुक्त रूप से काबिज है। किसी भी खातेदार को बंटवाड़ा करवाये बिना विशेष भू-भाग पर निर्माण कर सड़क वाली भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे भी प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में साबित होता है। राजस्व रेकर्ड में हिस्से गलत रूप से दर्ज होने के कारण अपीलार्थी शुद्ध करवाने का अधिकारी है तथा प्रत्यर्थी भी बिना बंटवाड़ा के विशेष भू-भाग पर निर्माण व कब्जा करने के अधिकारी नहीं है। यदि वे अपने उद्देश्य में सफल हो जाते है तो अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अपीलार्थी खातेदार काश्तकार है तथा खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, जहां पर प्रत्यर्थी बंटवाड़ा करने से इंकार कर देता है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में आलौच्य आदेश पारित किये जाने के पश्चात पंचायत चुनाव में पीठासीन अधिकारी व्यस्त होने के कारण न्यायालय में सुनवाई नहीं की जा रही है, इसलिए अपीलार्थी को मजबूरन आलौच्य आदेश की नकल लेकर यह अपील प्रस्तुत करनी पड़ी, जिस पर म्याद का बिंदु लागू नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा जानबूझ कर देरी नहीं की गई है, न ही किसी प्रकार का अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 जुलाई 2021 को आंशिक रूप से संशोधित किया जाकर वाद के लंबित रहने तक दोनो पक्षों को विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावें तथा विशेष भू-भाग पर निर्माण व कब्जा इत्यादि नहीं किये जाने हेतु पाबंद किये जाने का आदेश फरमावें।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड सहखातेदार है। रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। अपीलांट कोई अनुतोष चाहता है तो वह विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावें तथा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट भी खारिज फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास जताते हुए म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक प्रार्थी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत दावा प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में इस्तदुआ चाही कि अप्रार्थीगण अविभाजित वादग्रस्त आराजी के विधिनुसार विभाजन तक बेचान, हस्तांतरण नहीं करे तथा कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे एवं मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अप्रार्थी संख्या एक से आठ द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी/अपीलांट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया तथा रेस्पोडेंट संख्या नौ/अप्रार्थी संख्या नौ ने प्रार्थी/अपीलांट के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया जाना पाया जाता है। उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा खातेदारी घोषणा, विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अंतरिम आदेश के जरिये केवल राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा विवादित भूमि का विधिवत विभाजन होना है। विभाजन के दावे के विचाराधीन वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति में कोई बदलाव न हो तथा स्थाई प्रकृति का निर्माण न हो, इसलिए वादग्रस्त भूमि को संरक्षित किया जाना उचित प्रतीत होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है तथा विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का अंतिम निस्तारण होना शेष है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 जुलाई 2021 को

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दो माह की अवधि में निस्तारण करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01 दिसंबर 2022 को उपस्थित रहे। तब तक उभय पक्ष अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.11.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर